न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

प्रा0पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
44 / 24	16.10.2024	20-01-25

उनवान

1. देशराज
2. मुलकराज
3. वेदप्रकाश पुत्रान धनीराम जाति जाट निवासी ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0।
4. दयावन्ती बेवा रमेशचन्द पुत्र धनीराम
5. आयुष कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति जाट निवासी ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब (लैण्ड होल्डर) किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0।

:–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 लै0रे0एक्ट

उपस्थितिः– प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान कैलाशचन्द गुप्ता जी वकील।
अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

आराजी खसरा नम्बरान हाल 753 रकबा 0.1300हे0, 758 रकबा 0.2400हे0, 759 रकबा 0.2400हे0, 763 रकबा 0.1800हे0, 765 रकबा 0.1300हे0, 1344 रकबा 0.2900हे0, 1345 रकबा 0.6100हे0 जिनके साबिक ख0नं0 534, 535, 539 आदि से वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में स्थित है। सत्यप्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

हम प्रार्थीगण जाति से जाट है तथा विवादित आराजी मय अन्य आराजीयात राज0 सरकार द्वारा हम प्रार्थीगण के दाद हरीशचन्द को बतौर गैर दावेदार विस्थापित नजराने पर दी गई थी। हम प्रार्थीगण के दादा हरीशचन्द ने कलक्टर पुर्नवास महोदय अलवर को समस्त अलोटशुदा आराजी की रकम मय सूद दिनांक 02.02.1973 को क्रमांक 1794 कुल 476 रूपये जमा कराकर खातेदारी प्राप्त कर ली। सत्य प्रतिलिपि कलक्टर पुर्नवास अलवर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। शजरा प्रार्थीगण निम्न प्रकार से हैः–

हरीशचन्द
|———————————————|—————————|
धनीराम (मृतक) हवेलीराम (मृतक)
|—————|——————————|————————|
देशराज रमेशचन्द(मृतक) मुलकराज वेदप्रकाश
|————————|
दयावन्ती बेवा आयुष कुमार पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

प्रार्थीगण के दादाजी हरीशचन्द की जाति जाट दर्ज है लेकिन जमाबंदी सम्वत् 2029 में हम प्रार्थीगण के पिता धनीराम का इन्तकाल दर्ज करते हुए राजस्व कर्मचारियों ने जाति जाट के स्थान पर सहवन से जाट पंजाबी दर्ज कर दिया जो सरासर गलत है। सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2029 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जिसे हजफ किया जाकर जाट अंकित किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

हम प्रार्थीगण ने दिनांक 25.9.2024 को नकल जमाबंदी हासिल की तो उक्त गलत अंकन जाति का ज्ञान हुआ। जिस पर हम प्रार्थीगण ने दिनांक 01.10.2024 को अप्रार्थी व उनके कर्मचारियों से राजस्व रिकार्डस में प्रार्थीगण के नाम के बाद पंजाबी शब्द हजफ करने के लिए निवेदन किया तो उन्होने दुरूस्ती करने से इन्कार करते हुए अदालत श्रीमान में कार्यवाही करने को कहा। अतः न्यायालय श्रीमान के समक्ष आवेदन पत्र पेश करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हम प्रार्थीगण की जाति जाट पंजाबी को हजफ किया जाकर केवल मात्र जाट अंकित करने की आज्ञा दी जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 किया गया तथा प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। बावजूद सूचना अप्रार्थी उपस्थित नही अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

मिन प्रार्थी ने बतौर साक्ष्य स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कलक्टर साहब अलवर से रसीद फीस पट्टा प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी बंदोबस्त संवत् 2029 प्रदर्श–3, जमाबंदी खेवट खतौनी संवत् 2023 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत् 2071–2074 प्रदर्श–5 पेश किये है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2023 में प्रार्थीगन के दादा मुताबिक सजरा हरीशचन्द पुत्र मोहनलाल जाति जाट सा0 देह का अंकन है इसी प्रकार सन 1973 को प्रार्थीगण के पिता द्वारा कलैक्टर पुनर्वास अलवर में चालान जमा कराया गया था जिसमें भी जाति जाट अंकित है। लेकिन इसके बाद जमाबंदी संवत 2029 कायम करते समय प्रार्थीगण के पिता के नाम आई विरासत इंतकाल में प्रार्थीगण की जाति जाट पंजाबी दर्ज हो गई। जो ताहाल रिकार्ड में चला आ रहा है। गलत है इस बाबत प्रार्थीगण ने सशपथ पत्र पेश किया तथा श्रीमन जिला कलैक्टर महोदय द्वारा दिनांक 29.11.2005 में राजस्व रिकार्ड में जाति संबंधित त्रुटी को दुरूस्ती करवाई जा सकती के आदेश की प्रति पेश की है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पेश साबिक रिकार्ड एवं श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय के आदेश दिनांक 29.11.2005 के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकित जाति जाट पंजाबी के स्थान पर जाट किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान हाल 753 रकबा 0.1300हे0, 758 रकबा 0.2400हे0, 759 रकबा 0.2400हे0, 763 रकबा 0.1800हे0, 765 रकबा 0.1300हे0, 1344 रकबा 0.2900हे0, 1345 रकबा 0.6100हे0 वाके ग्राम बम्बोरा तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा में अंकित प्रार्थीगण की जाति जाट पंजाबी के स्थान पर जाट कियें जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल हो। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो । निर्णय सुनाया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)